तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज प्र.सं.:– 43/2017 बअनवान सीतादेवी बनाम तहसीलदार सोजत	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
07-05-2024	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता अपीलाण्ट उपस्थित। अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट्स संख्या 1 अनुपस्थित। रेस्पोडेन्टस संख्या 2 व 3 अनुपस्थित। पत्रावली लम्बे समय से वास्ते बहस नियत होने से अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट/रेस्पोडेन्ट्स वक्त बहस अनुपस्थित होने से अधिवक्ता अपीलाण्ट की एक पक्षीय बहस सुनी गयी। अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम थरासनी पटवारी हल्का थरासनी भु.अ.नि. चाडवास के खसरा नम्बर 972 व 984 कुल रकबा 2.40 हैक्टयर के खातेदार हजारी पुत्र किशना कोम सरगरा साकिन सोजत का निधन होने पर उसके उत्तराधिकारियों के नाम की जांच किये बिना केवल मात्र रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम का नामान्तकरण भरा गया। अपीलाण्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 मृतक हजारी के उत्तराधिकारी होने के बावजूद उनका नामान्तकरण नहीं भरे जाने के कारण उक्त अपील प्रस्तुत की गयी है। मृतक हजारी के कन्हैयालाल, प्रभुराम, ढगलाराम व मोतीलाल पुत्र तथा भंवरी पुत्री थी एवं हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम प्रथम अनुसूची के उत्तराधिकारी होने के कारण उनके नाम का भी नामान्तकरण भरा जाना लाजमी था जिस कारण उक्त नामान्तकरण काबिल निरस्त होने योग्य है। हजारी के पुत्र प्रभुलाल का निधन हो जाने से उसकी पत्नी सीता तथा पुत्र ढगलाराम का निधन हो जाने से उसकी पत्नी पिस्ता देवी का सम्पति में हक अधिकार होने से उक्त नामान्तकरण विधि व कानुन के अनुसार शुन्य होने से निरस्त योग्य है। अधिवक्ता अपीलाण्ट की बहस सुनी गयी। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन एवं गहनतापूर्वक मनन किया। उक्त अपील ग्राम थरासनी के खसरा नम्बर 972 व 984 के सम्बन्ध में तहसीलदार सोजत द्वारा ग्राम स्वीकृत नामान्तकरण संख्या 500 दिनांक 27.08.1995 के विरूद्ध पेश की है।	

अति. जिला कलक्टर, पाली

प्रकरण में कन्हैयालाल, भंवरी, मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा अटबडा तथा तहसीलदार सोजत को रेस्पोडेन्ट बनाया गया है। जैर अपील आराजी ग्राम थरासनी के खसरा नम्बर 972 व 984 की जमाबन्दी सम्वत 2074–2077 के अनुसार वर्तमान में उक्त भूमि चेनाराम पुत्र हिम्मताराम हिस्सा–पूर्ण जाति मेघवाल सा. जेलवा तह. बिलाडा जिला जोधपुर खातेदार राहिन (पूर्ण खाता) एक्सिस बैंक शाखा बिलाडा दर्ज है।

तहसीलदार सोजत द्वारा स्वीकृत नामान्तकरण संख्या 1775 दिनांक 22.12.2020 के द्वारा खसरा नम्बर 972 व 984 की भूमि चेनाराम पुत्र हिम्मताराम के नाम खातेदारी दर्ज हुयी।

चुकि वर्तमान में चेनाराम पुत्र हिम्मताराम खातेदार राहिन (पूर्ण खाता) एक्सिस बैंक शाखा बिलाडा दर्ज है तथा विचाराधीन प्रकरण में प्रभावित पक्षकार होने के उपरान्त भी अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा आदिनांक तक इन्हे पक्षकार बनाये जाने बाबत् किसी भी प्रकार की कार्यवाही नहीं की है तथा ना ही वक्त बहस अधिवक्ता अपीलाण्ट ने इस सम्बन्ध में कोई उज्र व्यक्त किया। इसलिए उचित पक्षकार नहीं बनाये जाने के कारण उक्त अपील को न्यायालय हाजा में चलाये रखना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणामस्वरूप जैर अपील उचित पक्षकार नहीं बनाये जाने के अभाव में इसी स्तर पर खाजिर की जाती है। अधिवक्ता अपीलाण्ट उचित पक्षकार संयोजित कर पुनः अपील पेश करने हेतु स्वतन्त्र है। अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड निर्णय की सत्य प्रति के साथ लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

अति जिला कलक्टर, पाली

अति. जिला कलक्टर, पाली